

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 308/2023 (धारा 14 सिक्क्योरिटाईजेशन)  
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक

बनाम

1. मैसर्स माँ सरस्वती एन्टरप्राइजेज जरिये प्रोपरराईटर श्री दीपक अग्रवाल,  
पता- 1000, बगरू वालों का रास्ता, चांदपोल, जयपुर।
2. मैसर्स हरि इण्डस्ट्रीज जरिये प्रोपरराईटर श्रीमती संतोष देवी अग्रवाल,  
पता- यज्ञ शाला की बावड़ी, जाट के कुएं का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर।
3. श्री हरिनारायण अग्रवाल पुत्र स्व. श्री रामनिवास अग्रवाल,
4. श्रीमती संतोष देवी अग्रवाल पत्नी श्री हरिनारायण अग्रवाल,
5. श्री दीपक अग्रवाल पुत्र श्री हरिनारायण अग्रवाल,  
पता- 1000, बगरू वालों का रास्ता, चांदपोल, जयपुर।
6. मैसर्स के के फूड्स जरिये प्रोपरराईटर श्री झाबरमल जाट पुत्र श्री हनुमान सहाय जाट,  
पता- एस.एस.-197, कृषि उपज मण्डी समिति(अनाज) कूकरखेडा, सीकर रोड़, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation  
and Reconstruction of Financial Assets and  
Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित

1. श्री सुरेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 10.03.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में 1. श्री हरिनारायण अग्रवाल के स्वामित्व की संपत्ति म्यूनिसिपल संख्या 999-1001, हवेली के चौक की उत्तरी लाईन में हिस्सा मकानात, चौकड़ी पुरानी बस्ती, बगरू वालों का रास्ता, जयपुर, क्षेत्रफल 24.51 वर्गमीटर, 2. श्री हरिनारायण, श्री दीपक कुमार अग्रवाल एवं श्रीमती संतोष अग्रवाल के संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति 999-1000, बगरू वालों का रास्ता, चांदपोल, जयपुर, क्षेत्रफल 164.64 वर्गमीटर एवं 3. मैसर्स के के फूड्स के स्वामित्व की संपत्ति दुकान संख्या एसएस-197, राजधानी गौण मण्डी प्रांगण, सीकर रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 250 वर्गफीट को बंधक रख कर दिनांक 16.09.2014 को राशि 01,08,00,000/- रुपये, दिनांक 11.02.2016 को राशि 06,00,000/- रुपये, दिनांक 22.02.2018 को राशि 16,00,000/- रुपये, दिनांक 30.03.2019 को राशि 50,00,000/- रुपये, दिनांक 31.12.2019 को राशि 42,00,000/- रुपये, 15,42,000/- रुपये, दिनांक 21.06.2021 को राशि 20,00,000/- रुपये एवं दिनांक 23.12.2021 को राशि 10,00,000/- रुपये, कुल राशि 2,67,42,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.09.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक एव हाईपोथिकेटेड उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 2,67,42,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 2,47,23,329/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 29.09.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था/बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक बन्धक/हाइपोथिकेट रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में हाईपोथिकेट की गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्राथी वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी 1. श्री हरिनारायण अग्रवाल के स्वामित्व की संपत्ति म्यूनिसिपल संख्या 999-1001, हवेली के चौक की उत्तरी लाईन में हिस्सा मकानात, चौकडी पुरानी बस्ती, बगरू वालों का रास्ता, जयपुर, क्षेत्रफल 24.51 वर्गमीटर, 2. श्री हरिनारायण, श्री दीपक कुमार अग्रवाल एवं श्रीमती संतोष अग्रवाल के संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति 999-1000, बगरू वालों का रास्ता, चांदपोल, जयपुर, क्षेत्रफल 164.64 वर्गमीटर एवं 3. मैसर्स के. के. फूड्स के स्वामित्व की संपत्ति दुकान संख्या एसएस-197, राजधानी गौण मण्डी प्रांगण, सीकर रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 250 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेश करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
6. आदेश आज दिनांक 10.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)  
 जिला मजिस्ट्रेट  
 (कलक्टर) जयपुर